प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

गॉडविन पब्लिक जू० हा०स्कूल, किरठल,
विकास क्षेत्र छपरौली, बागपत।

पत्रांक सं0: शि.स./ 414-17 / 2003-04 दिनाँक 24.4.2003

विषयः– जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 23-4-2003 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–6–97–18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊय दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाता अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निमार्ण कराये।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ0सं0 शि.स./ / 2003-04 दिनांक 24.4.2003

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.....।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी.....।
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र.....।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी.....।
7. समाज कल्याण अधिकारी.....।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
....गौड़ ग्रीन पाब्लिक स्कूल
........किरठल..(बागपत)

पत्रांक -जी-2/ 5647-49/2006-07 दिनांक 14-9-06

विषय:-प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14-09-2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को जुलाई, 2006 से प्राइमरी स्तर की कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है ।

यदि आपके द्वारा विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया या विद्यालय के प्रति कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मान्यता समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित होगा ।

1- समिति का विभाग द्वारा समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।
2- छात्रों से विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
3- विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तके ही विद्यालय में पढ़ायी जाये ।
4- किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बिना विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न हटाया जाये ।
5- विद्यालय के विरूद्व शिकायत होने पर तथा शिकायत सत्य पाये जाने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।
6- शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।
7- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।
8- अप्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाये ।
9- विद्यालय की प्रगति प्रति वर्ष कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये ।
10-विद्यालय के अध्यापकों/अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को परिषदीय अध्यापकों के समान वेतन दिया जाये ।

भवदीय,

14.09.06

(डा0 धर्मवीर सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत ।

पृ0सं0/जी-2/ /2006-07 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत ।
2- नगर शिक्षा अधिकारी, बड़ौत ।

(डा0 धर्मवीर सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत